बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

आवश्यक सूचना

डब्लू.पी.(सी.) संख्या–1052/2021, सुनील कुमार राय एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–21.02.2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश एवं तदालोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य के लोहार जाति, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र संख्या–10818 दिनांक–08.08.2016 द्वारा अनुसूचित जनजाति (ST) कोटि में अधिसूचित किया गया था, को अपने पत्रांक–6026 दिनांक–19.04.2022 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के उक्त पत्र द्वारा बिहार राज्य के लोहार जाति को पुनः अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) कोटि–04 के अंतर्गत पूर्ववत अधिसूचित रखा गया है।

तदालोक में विज्ञापन संख्या–02/2020, उद्योग विभाग, बिहार के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्रों में परियोजना प्रबंधक के लिए दिनांक–24.01.2022 को प्रकाशित प्रारंभिक परीक्षाफल को नये सिरे से समीक्षा करने की आवश्यकता है। उक्त के आलोक में वि. सं.–02/2020 में मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु दिनांक–22.06.2022 को आयोग द्वारा सूचना का प्रकाशन कर ऑनलाईन आवेदन 24.06.2022 से 15.07.2022 तक आमंत्रित किया गया है, को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है।

प्रारंभिक परीक्षाफल के संशोधनोपरांत पुनः प्रकाशन के बाद मुख्य परीक्षा हेतु नये सिरे से आवेदन पत्र भरने के कार्यक्रम को अलग से संसूचित किया जाएगा।

30.6.22

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।